(19)

34 17

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक एफ–31 (30) विधि/जविप्रा/स्न/2010/4017 दिनांक – 11.06.2010

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत जयपुर विकास प्राधिकरण में प्राप्त आवेदन पत्रों का प्राधिकरण के विभिन्न प्रशासनिक एककों के लिए नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों में विहित समयावधि में निस्तारण हेतु आदेश कमांक डी–3126 दिनांक 10.06.06 के द्वारा प्रकिया निर्धारित की हुई है।

उक्त अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) में प्रस्तुत अनुरोध/आवदेन पत्र की प्रकृति अनुसार व अधिनियम के प्रावधानानुसार अपेक्षित सूचना व दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम 30 दिवस की पर्याप्त समयावधि के उपरान्त भी विहित समयावधि के भीतर वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 19 (1) के अध्यधीन प्रथम अपीलों, राजस्थान सूचना आयोग में धारा 19 (3) के अध्यधीन द्वितीय अपीलों व धारा 18(1) के अध्यधीन परिवादों की संख्या में काफी वृद्धि होती जा रही है।

अनेक प्रकरणों में प्रथम अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय में सूचना प्रदान करने की समयावधि नियत करते हुए प्रदान किए गए निर्देशों की भी अनुपालना नहीं किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके परिणामस्वरूप धारा 18 (1) के अध्यधीन राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत परिवादों की बहुलता जविप्रा के राज्य लोक सूचना अधिकारियों की अनुशासनहीनता का परिचायक है।

माननीय राजस्थान सूचना आयोग में प्राधिकरण के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त प्रकृति की द्वितीय अपीलों व परिवादों में पारित निर्णयों में की जा रही टिप्पणियों और अधिरोपित की जा रही पैनल्टी/शास्ति से जहॉ एक ओर प्राधिकरण को आर्थिक क्षति तो कारित हो ही रही है, वहीं दूसरी ओर समाचार पत्रों में प्रकाशित निर्णयों में अंकित टिप्पणियों से प्राधिकरण की छवि पर विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अध्यधीन प्राधिकरण में प्राप्त कई प्रार्थना पत्रों/अनुरोधों के द्वारा चाही गई सूचना प्राधिकरण के विभिन्न प्रकोष्ठों से संयुक्त रूप से भी सम्बन्धित होती है, जिस पर राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक का यह सूचित किया जाता है कि वांछित सूचना उनके प्रकोष्ठ से सम्बन्धित नहीं है, अतः सम्बन्धित प्रकोष्ठ के राज्य लोक अधिकारी से सूचना प्राप्त की जावें।

इसी प्रकार कई प्रकरणों में रिक्त उपलब्ध नहीं होने/पत्रावली खो जाने का अभिकथन अंकित कर आवेदकों को सूचित किया जा रहा है, जो प्राधिकरण की संविधिक कार्यप्रणाली पर स्वयमेव एक प्रश्न चिन्ह है।

35 18

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि चाही गई सूचना/आंशिक सूचना प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं है, तो अनुरोध प्राप्त करने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकरण में अनुरोध की प्राप्ति के दिवस से 5 दिवस की समयावधि के भीतर सम्बन्धित लोक सूचना प्राधिकारी/अन्य प्राधिकरण को अनुरोध अथवा उसके सुसंगत अंश का अन्तरण कर तद्नुसार आवेदक को भी सूचित किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

इसी अनुसार यदि चाही गई सूचना/आंशिक सूचना प्राधिकरण के किसी एक प्रकोष्ठ से सम्बन्धित नहीं है, तो अनुरोध प्राप्त करने वाले प्रकोष्ठ के लिए पदानिहित/नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसको अनुरोध की प्राप्ति के दिवस से 5 दिवस की समयावधि के भीतर सम्बन्धित प्रकोष्ठ के लिये पदानिहित/नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध अथवा उसके सुसंगत अंश का अन्तरण कर तद्नुसार आवेदक को भी सूचित किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

इसलिए, संविधिक प्रावधानों की शब्दशः अनुपालना सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ पूर्व निर्धारित प्रक्रिया में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 8 की उप–धारा (1) के द्वारा प्राप्त शक्तियों के प्रयोग में निर्देशित किया जाता है, कि :–

1. प्राधिकरण के प्रत्येक प्रशासनिक एकक/प्रकोष्ठ के प्रभारी/राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ प्रकोष्ठ के समस्त अभिलेखादि, पत्रावलियों और प्रपत्रों को उक्त अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत सूचीबद्ध और सारणीबद्ध करने तथा उन्हें कम्प्यूटरीकृत करने की कार्यवाही यथाशक्य संभव शीघ्र परन्तु अविलम्ब किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. प्राधिकरण के नागरिक सेवा केन्द्र के प्रभारी द्वारा केन्द्र में प्राप्त होने वाले अनुरोधों/आवेदनों का नागरिक सेवा केन्द्र में नियुक्त काउन्सलर्स से परीक्षण कराके उन्हें सम्बधित प्रकोष्ठ के राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करने, तथा

   किसी अनुरोध के एक से अधिक प्रकोष्ठों से सम्बन्धित होने की स्थिति में अनुरोध की उतनी ही संख्या में छायाप्रतियाँ कराई जाकर समस्त सम्बन्धित प्रकोष्ठ के राज्य लोक सूचना अधिकारी को अविलम्ब प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(23)

36 19

3. उपरोक्त सम्बन्ध में नागरिक सेवा केन्द्र के प्रभारी को किसी भी प्रकार की कार्रवाई या मार्गदर्शन अपेक्षित हो तो उनके द्वारा प्राधिकरण के अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) से मार्गदर्शन प्राप्त कर तदनुसार प्रार्थना पत्र/अनुरोध की छायाप्रतियां कराते हुए सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारियों को समय पर प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

4. उपरोक्त के पश्चात भी यदि किसी अनुरोध/प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त आदेशों की पालना शेष रह जाये तो सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध/प्रार्थना पत्र सिटीजन केयर सेन्टर को प्रति प्रेषित नहीं करेंगे एवं अन्य लोक सूचना अधिकारी/निकाय से सम्बन्धित सूचना से सुसंगत प्रकरणों में उक्त अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) में अंकित प्रावधानानुसार विहित 5 दिवसीय संविधिक समयावधि में अनुरोध/आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/निकाय के राज्य लोक सूचना अधिकारी को हस्तान्तरित कर आवेदक व प्रभारी सिटीजन केयर सेन्टर को सूचित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

5. तदनुसार ही यदि चाही गई सूचना/आंशिक सूचना प्राधिकरण के किसी एक प्रकोष्ठ से सम्बन्धित नहीं है, तो अनुरोध प्राप्त करने वाले प्रकोष्ठ के लिए पदाभिहित/नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसको अनुरोध की प्राप्ति के दिवस से 5 दिवस की समयावधि के भीतर सम्बन्धित प्रकोष्ठ के लिए पदाभिहित/नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध अथवा उसके सुसंगत अंश का अन्तरण कर तदनुसार आवेदक को भी सूचित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

6. प्राधिकरण के समस्त प्रकोष्ठों के लिए पदाभिहित/नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह उनकी संविधिक/प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को उक्त धारा 4 (1) के प्रावधानान्तर्गत अपडेट/अद्यतन/कम्प्यूटरीकरण रखेंगे, और

किसी भी आवेदक को इस आशय का कोई उत्तर प्रेषित नहीं करेंगे कि "सूचना उनके प्रकोष्ठ से सम्बन्धित नही है/सम्बन्धित प्रकोष्ठ से प्राप्त करें/सम्बन्धित रिकार्ड व पत्रावली उपलब्ध नही हो पा रही है अतः सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है"।

7. प्राधिकरण के समस्त प्रकोष्ठों के राज्य लोक सूचना अधिकारी अनिवार्य रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार और उनमें विहित संविधिक समयावधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(25)

उक्त निर्देशों की सुनिश्चित रूप से अनुपालना की जावेगी और इस सम्बन्ध में राज्य लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनभिज्ञता अमान्य होगी एवं इस प्रकार के प्रकरणों में सम्बन्धित प्रकोष्ठ के राज्य लोक सूचना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

37 20

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सहायक, जयपुर विकास आयुक्त/सचिव, को सूचनार्थ।
2. उप महानिरीक्षक (पुलिस), जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (अभियान्त्रिकी/परियोजना/आयोजना/वित्त/विधि), जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/भूमि/एल0पी0सी0), जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम एवं द्वितीय, जविप्रा, जयपुर।
7. सलाहकार (रिंग रोड), जविप्रा, जयपुर।
8. सर्किल अभियन्ता (प्रथम)/सर्किल अभियन्ता (द्वितीय)/सर्किल अभियन्ता (तृतीय)/सर्किल अभियन्ता (चतुर्थ)/सर्किल अभियन्ता—पंचम एवं तकनीकी सहायक निदेशक (अभियान्त्रिकी/परियोजना)/सर्किल अभियन्ता—पी0एच0ई0/सर्किल अभियन्ता—रिंग रोड प्रोजेक्ट जविप्रा, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक (बी0पी0सी0)/एम0पी0/प्रोजेक्ट, जविप्रा, जयपुर।
10. समस्त उपायुक्त जोन—1 से 14/समान्य प्रशासन/स्टोर/जॉच/वाहन/अभाव अभियोग प्रकोष्ठ/पी0पी0सी0, जविप्रा, जयपुर।
11. उप निदेशक (व्यय एवं बजट)/लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा, जयपुर।
12. भूमि अवाप्ति अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
14. समस्त जोनल अभियन्ता/वरिष्ठ उद्यान विज्ञ, जविप्रा, जयपुर।
15. विशेषाधिकारी (प्रचार) विशेषाधिकारी (संसाधन विकास/संयुक्त रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली

अति0 आयुक्त (प्रशासन)